फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 36 /2015

अरविन्द कुमार जैन
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः मई 19,2015

प्रिय,

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या : 35/2012 दिनांक 23.07.2012 एवं इस मुख्यालय के पत्र संख्या : डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांक 04.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनमें नाबालिग एवं बालिग अविवाहित लड़कियों के व्यपहरण/अपहरण के प्रकरणों में विवेचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रायः देखा गया है कि ऐसे प्रकरणों में जनपदों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित रूचि नही ली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है, जो बडे खेद का विषय है।

आप सहमत होगें कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति घटित होने वाले ऐसे अपराधों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत त्वरित गति से अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना तथा इस प्रकार के अपराधों में कार्यवाही के दृष्टिगत किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतना अपरिहार्य है। ऐसे अपराधों में शिथिल कार्यवाही के कारण जहाँ एक ओर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है, वही पुलिस के प्रति जनमानस में आक्रोश भी उत्पन्न होता है। मुख्यालय द्वारा समय-समय पर इस सन्दर्भ में निर्गत सभी परिपत्रों को अति निकटता से आप स्वयं देख लें तथा परिपत्रों में इंगित बिन्दुओं से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

ऐसे प्रकरणों में यदि अपहृत की बरामदगी 45 दिनों के अन्दर सुनिश्चित न की जा सके तो ऐसे सभी प्रकरणों को विशेष अपराध की श्रेणी में रखा जाये, तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर से इन विवेचनाओं का गहनतम पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाये। ऐसे सभी प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने प्रथम पर्यवेक्षण आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि व्यपहरण/अपहरण के अपराधों में कार्यवाहियाँ कहाँ तक सुनिश्चित की गयी हैं और यदि किन्ही बिन्दुओं पर कार्यवाही नही की जा सकी है तो उसका कारण क्या है।

आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को विशेष रूप से एक जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन कर इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से अवगत करा दे। इसके बाद यदि ऐसे प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित हो तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाये। कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय

19.5.15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।